सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 16, गुरूवार, शाके 1945-अप्रेल 06, 2023 *Chaitra 16, Thursday , Saka 1945- April 06, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 21, 2023

संख्या प.4(8)कृषि/ग्रुप-2/2022 :-जैसा कि राज्य सरकार ने राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन जारी की गई अधिसूचना प.4(8)कृषि/ग्रुप-2/2022 जयपुर दिनांक 07 जुलाई 2022 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति बगरू जयपुर के क्षेत्र में से पंचायत समिति दूदू की 19 ग्राम पंचायते क्रमशः उरसेवा, गहलोता, गागरडू, गैजी, दूदू, दांतरी, धांधोली, नानण, पडासोली, बिगोलाव, ममाणा, मरवा, जडावता, रहलाना, साखून, साली, सिरोहीकला, सुनाडिया, हरसौली तथा पंचायत समिति मौजमाबाद की 21 ग्राम पंचायते अखैपुरा, उगरियावास, खुडियाला, गंगातीकला, गाडोता, गिदानी, गुढाबेरसल, झरना, झाग, धमाणा, बिचून, बिहारीपुरा, बोराज, महला, मांगलवाडा, मोखमपुरा, मौजमाबाद, रसीली, सावरदा, सांवली, सेवा पंचायत समिति सांभर लेक की 21 ग्राम पंचायते सिनोदिया, मुण्डवाडा, काजीपुरा, खण्डेल, जयसिंहपुरा, त्योद, तेजाका बास, नौरगंपुरा, आकोदा, काचरोदा, कोरसीना, चैनपुरा, नरायना, बरटोडी, रोजडी, शार्दुलपुरा, सुरसिंहपुरा, हबसपुरा, हिरनौदा, श्रीरामपुरा खैडीराम के समस्त क्षेत्र को पृथक कर एक नई कृषि उपज मण्डी समिति दूदू के नाम से स्थापित करने के आशय की घोषणा की गई थी।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 4(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार नव गठित कृषि उपज मण्डी समिति बगरू की विज्ञप्ति क्रमांक प.4(17)कृषि/ग्रुप-2/2016 दिनांक 08 सितम्बर 2016 में घोषित क्षेत्र में से पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने के उपरान्त पंचायत समिति, दूदू की 19 ग्राम पंचायते क्रमशः उरसेवा, गहलोता, गागरडू, गैजी, दूदू, दांतरी, धांधोली, नानण, पडासोली, बिगालोव, ममाणा, मरवा, जडावता, रहलाना, साखून, साली, सिरोहीकलां, सुनाडिया, हरसोली तथा पंचायत समिति मौजमाबाद की 21 ग्राम पंचायते अखैपुरा, उगरियावास, खुडियाला, गंगातीकला, गाडोता, गिदानी, गुढाबेरसल, झरना, झाग, धमाणा, बिचून, बिहारीपुरा, बोराज, महला, मांगलवाडा, मोखमपुरा, मौजमाबाद, रसीली, सावरदा, सांवली, सेवा पंचायत समिति सांभरलेक की 12 ग्राम पंचायते आकोदा, काचरोदा, कोरसीना, चैनपुरा, नरायना, बरटोडी, रोजडी, शार्दुलपुरा, सुरसिंहपुरा, हबसपुरा, हिरनौदा, श्रीरामपुरा, खैडीराम एवं नगरपालिका क्षेत्र नरायना तथा गौण मण्डी यार्ड नरायना के सम्पूर्ण क्षेत्र सहित कृषि उपज मण्डी समिति, दूदू के समस्त मण्डी क्षेत्र को पृथक किया जाता है।

इसी क्रम में कृषि उपज मण्डी समिति, दूदू की अधिसूचना प.4(8)कृषि/ग्रुप-2/2022 जयपुर दिनांक 07 जुलाई 2022 में कृषि उपज मण्डी समिति, किशनगढ रेनवाल की शामिल 8 ग्राम पंचायतो

क्रमशः मुण्डवाडा (1) काजीपुरा (2) खण्डेल (3) जयसिंहपुरा (4) त्योद (5)तेजाका बास (6) मौरन्डपुरा (7) सिमोलिया (8) को नवीन घोषित कृषि उपज मण्डी समिति दूदू के क्षेत्र से पृथक किया जाता हैं ।

इसी प्रकार मण्डी समिति क्षेत्र चाकसू से पंचायत समिति फागी की 20 ग्राम पंचायत क्रमशः स.जयसिंहपुरा, कांसेल, मण्डोर, राटवाडा, लदाना, पचाला, लसाडिया, चौरू, नारेडा, मण्डावरी, मैदवास, फागी, नीमेडा, किशोरपुरा, मांदी, परवण, चकवाडा, सुल्तानिया, कुडली, भोजपुरा को कृषि उपज मण्डी समिति दूदू के मण्डी क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना है।

अतः उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार घोषणा करती है कि राजस्थान राज-पत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचित कृषि उपजों के क्रय विक्रय के संबंध में पंचायत समिति, दूदू की 19 ग्राम पंचायते क्रमशः उरसेवा, गहलोता, गागरडू, गैजी, दूदू, दातरी, धांधोली, नानण, पडासोली, बिगालोव, ममाणा, मरवा, जडावता, रहलाना, साखून, साली, सिरोहीकला, सुनाडिया, हरसोली, तथा पंचायत समिति, मौजमाबाद की 21 ग्राम पंचायते अखैपुरा, उगरियावास, खुडियाला, गंगातीकला, गाडोता, गिदानी, गुढाबेरसल, झरना, झाग, धमाणा, बिचून, बिहारीपुरा, बोराज, महला, मांगलवाडा, मोखमपुरा, मौजमाबाद, रसीली, सावरदा, सांवली, सेवा पंचायत समिति सांभर लेक की 12 ग्राम पंचायते आकोदा, काचरोदा, कोरसीना, चैनपुरा, नरायना, बरटोडी, रोजडी, शार्दुलपुरा, सुरसिंहपुरा, हबसपुरा, हिरनौदा, श्रीरामपुरा, खैडीराम तथा पंचायत समिति फागी की 20 ग्राम पंचायते क्रमशः स.जयसिंहपुरा, कांसेल, मण्डोर, राटवाडा, लदाना, पचाला, लसाडिया, चौरू, नारेडा, मण्डावरी, मैंदवास, फागी, नीमेडा, किशोरपुरा, मांदी, परवण, चकवाडा, सुल्तानिया, कुडली, भोजपुरा एवम् नगरपालिका क्षेत्र नरायणा तथा गौण मण्डी यार्ड नरायणा का सम्पूर्ण क्षेत्र कृषि उपज मण्डी समिति दूदू का मण्डी क्षेत्र होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।